न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 3.5.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. गणपतलाल
2. श्रवणलाल उर्फ श्रवण कुमार
3. पन्नालाल
4. रामनरोत्तम
5. परमानन्द
6. बजरंगी बाई पिसरान स्व. कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति माली निवासी–गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

....अपीलाट्स

बनाम

1. घांसीलाल पुत्र गणेशलाल
2. लाभूबाई पत्नी स्व0 गणेशलाल
3. सीताबाई पुत्री स्व. गणेशलाल जाति माली कायम मुकामान एवं वारिसान स्व0 गणेशलाल जाति माली निवासीगण गांव गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओ0 पी0 सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सत्यनारायण सुमन अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2

:::निर्णय:::

दिनांक 8.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 180/2010 (अपील) धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान घांसीलाल वगेरा बनाम गणपत आदि मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि घांसीलाल वगेरा ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 21.8.1972 को ग्राम गिरधरपुरा का स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 27 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि दादा देबिया की ग्राम गिरधरपुरा मे ख0 नं0 159 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है मृतक देबिया के दो पुत्र गणेशलाल व कान्हा थे जिनका भी देहान्त हो चुका है। गणेशलाल का देहान्त देबिया जी के जीवनकाल मे ही हो चुका था। मृतक गणेशलाल के घांसीलाल पुत्र लाभूबाई पत्नि व सीताबाई पुत्री कायम मुकामान है किन्तु तहसीलदार लाडपुरा ने बिना वारिसान की जांच किये मृतक देबिया का फोती इंतकाल आरबीट्रेरी तौर पर केवल जीवित पुत्र कान्हा पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय एवं उत्तराधिकार कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से काबिल संशोधनीय है। अतः नामा0 सं0 27 दिनांक 21.8.72 अपास्त किया जावे तथा उक्त विवादित भूमि मे 1/2 हि0 दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने दिनांक 30.11.2016 को अपील आंशिक स्वीकार कर नामा0 सं0 27 दिनांक 21.8.72 निरस्त कर मृतक देबिया के वास्तविक वारिसान की जांच कर नवीन आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड

किया गया। जिला कलक्टर कोटा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट गणपत वगेरा द्वारा द्वितीय अपील धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम मे इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नामा0 सं0 27 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी जो नामा0 खोले जाने की तिथी से लगभग 38 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण स्पष्ट नही किया गया था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब मे एस0डी0ओ0 कोटा कोर्ट मे विचाराधीन वाद मे पक्षकारान के हक हकूक तय होना अवगत करा दिया था। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र एंव आवेदन पत्र का निस्तारण नही किया तथा लिमि0 के बिन्दू का निस्तारण किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई अवसर दिये बिना ही दिनांक 30.11.2016 को अपील का निस्तारण कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यू कोड के प्रोसीजर रूल्स मे परिवर्तन करते हुये अपील प्रकरण की सुनवाई 4.30 पी.एम. के बाद निर्धारित कर अपने एक पक्षीय आदेश के द्वारा रेवेन्यू बोर्ड एवं राज0 उ0 न्यायालय द्वारा निर्मित नियमो का उल्लघन कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने से जानबूझ कर वंचित किया गया जो न्याय एवं कानून की मंशा के विरूद्ध है। अपीलांट के अधिवक्ता को अनुपस्थित मानकर एक तरफा बहस सुनना एंव फैसला देना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लघंन है। कानूनी मुद्धो पर विचारण कर निस्तारण करना अपीलेट कोर्ट की स्वयं जिम्मेदारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी पहलुओ को नजर अंदाज कर दिनांक 30.11.2016 को निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मे वर्णित सम्पूर्ण तथ्यो पर कोई विचारण नहीं किया। अधीनस्थ न्याया0 ने 38 वर्ष गुजरने बाद कृषि भूमि का स्टेटस क्या है कि जानकारी नही कि जबकि सत्यता यह है कि पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार घांसीलाल ने अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया है तथा म्यूटेशन की अपील की आड मे घांसीलाल, कन्हैयालाल के वारिसान की भूमि मे से आधा हिस्सा क्लेम करने पर आमदा है इसी कारण प्रथम अपीलेट कोर्ट मे निर्णय पारित होने के बाद रेस्पो0 ने एसडीओ कोटा के समक्ष विचाराधीन बटवारे व इन्द्राज दुरूती के वाद को जानबूझ कर अदम पैरवी मे खारिज करवा लिया। उक्त वाद मे भी घांसीलाल ने अपने पिता के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया अतः अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर जेरअपील निर्णय दिनांक 30.11.2016 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम 1 व 2 सुनी गई रेस्पो0 क्रम–3 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मिमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि नामा0 सं0 27 दिनांक 21.8.72 की अपील 38 वर्ष बाद पेश गई जो मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः अपील प्रथम दृष्टया ही मियाद के बिन्दू पर खारिज योग्य थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को स्वीकार कर त्रुटि की है। बहस मे बताया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं विवादित आराजी के बटवारे का वाद न्यायालय एसडीओ कोटा मे विचाराधीन होने तथा पक्षकारान के हक हकूको का उसी वाद मे निस्तारण होना बताते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका कोई निस्तारण नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के स्टेटस की जानकारी प्राप्त किये बिना लगभग 38 वर्ष बाद प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को न्यायालय समय के बाद एक पक्षीय रूप से सुनवाई करते मेरी अनुपस्थिति मे निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1992 पेज 17 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे बताया कि नामा0 सं0 27 बिना वारिसान की जांच के तस्दीक किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया है। नामा0 मे केवल कान्हा नाम दर्ज किया गया जबकि मृतक गणेशलाल के पुत्र, पत्नि, पुत्री रेस्पो0 है तथा विवादित आराजी मे 1/2 हिस्से की हकदार है। बह समे आगे बताया कि गिरधरपुरा के अलावा नान्ता, एवं नयाखेडा मे भी संयुक्त आराजीयात है जिसमे रेस्पों0 का खाता 1/2 दर्ज हो रहा है इस प्रकार अलग 2 गांवो मे स्थित आराजी का फोती इंतकाल अलग 2 तस्दीक किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय

मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नहीं है लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरडी 1992 पेज 17 पर गौर किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद मे अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन एक पक्षीय निर्णय दिनांक 30.11.2016 की जानकारी दिनांक 1.3.2017 को होना अभिलिखित करते हुये अपील प्रस्तुतीकरण मे हुवा विलम्ब बोनाफाईड एवं क्षम्य होना अंकित किया है। अपीलांट क्रम–2 द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रा0 पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी क्रम–2 द्वारा शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विवादित आराजी का नामा0 27 दिनांक 21.8.1972 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामा0 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील दिनांक 19.10.2010 को लगभग 38 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर थी। प्रश्नगत प्रकरण मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा विवादित नामा0 सं0 27 दिनांक 21.8.72 के विरूद्ध दिनांक 19.10.2010 को प्रस्तुत अवधि बाधित अपील मे परिसीमा के बिन्दू का निस्तारण किये बिना अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त कानूनी एंव सारवान तथ्य का अभाव रहा है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है प्रकरण मे अपीलांट व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही रहे है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नही हो सका जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 30.11.2016 अपास्त कर प्रकरण विवेचित तथ्यो के आलोक मे पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा प्रकरण संख्या 180/2010 (अपील) बउनवान घांसीलाल वगेरा बनाम गणपत आदि मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को निर्णय के बिन्दू सं0 6 मे उल्लेखित तथ्यो के आलोक मे पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर विवादित नामा0 सं0 27 दिनांक 21.8.1972 के संबध मे गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर अपील मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 8.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा